



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/

दिनांक


आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1	श्री विष्णु शंकर शर्मा, वरिष्ठ सहायक	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, प.क., उदयपुर।	17 06 1959	30 06 2019
2	श्री रूपलाल भील, सहा. प्रशासनिक अधिकारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खमनोर, राजसमन्द।	09 08 1959	31 08 2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लबित नहीं है।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर


दिनांक 14/3/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/ 679

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेशान एवं पेशानर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द/उदयपुर।
- 3 अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, प.क., उदयपुर।
- 4 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खमनोर, राजसमन्द।
- 5 डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
- 6 सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
- 7 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 8 आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर